20/22 पत्रावली पेश हुई। कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी व वादी वकील का बार-बार आवाज लगाने पर कोई भी उपस्थित नहीं आया। वादी व वादी वकील के कथन रचना अनुसार रीडर से पत्रावली अंकन हाजिरी पेटी में रवानगी किया जाता है। पत्रावली अगली सुनवाई होने नम्बर से कम ना। अगली इजलास

उपखण्ड अधिकारी
तहसील (अलवर) राज०